न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक :-

तारीख पेशी :-

(28)

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया
द्वारा आज दि. 15-11-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 19-11-18

निगरानी - 6330/2018/दमोह/भू.रा.

मोहन अहिरवार बल्द तांतू अहिरवार,

निवासी- ग्राम करैया हजारी, तह. व जिला दमोह ---- निगरानीकर्ता/प्रतिअपीलार्थी

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल, म.प्र.
15/11/18

बनाम्

किशोरी यादव बल्द सरजू यादव,

निवासी- ग्राम मारूताल, तह. व जिला दमोह ---- उत्तरवादी/अपीलार्थी

दावा :- धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता (निगरानी/पुनरीक्षण)

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा रा.अ.क्रं. 508/बी-1 वर्ष 2017-18 पक्षकार किशोरी यादव बनाम् मोहन अहिरवाल में पारित आदेश दिनांक- 04/10/2018 से क्षुब्ध होकर उद्भूत ।

महोदय,

निगरानीकर्ता/प्रतिअपीलार्थी/आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय दमोह के समक्ष निगरानीकर्ता/आवेदक का आवेदन इस प्रकार था कि मौजा समन्ना स्थित भूमि खसरा नंबर 29/1, 29/13, 29/15ख का कुल रकबा 7.94 एकड़ था जिसका वह मालिक काबिज था निगरानीकर्ता/आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अपने कुल रकबा में से रकबा 3.01 हे. भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया था जिसका नवीन खसरा नंबर 146, 147/3, 147/1 रकबा क्रमशः 1.21 हे., 0.91 हे., 0.80 हे. बने हैं जिसका कुल रकबा 2.92 हे. है । इस प्रकार से निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा क्रय किया गया कुल रकबा 7.94 एकड़ भूमि में से विक्रित रकबे को कम करने पर निगरानीकर्ता/आवेदक की मौका पर कुल रकबा 0.25 हे. भूमि शेष बची थी जिसका खसरा नंबर 147 है जिसका वह मालिक

---- 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 6330/2018/दमोह/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.12.18	आवेदक अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया को दिनांक 20.11.18 का सुनकर भूलवश निगरानी ग्राह्य कर अनावेदक को सूचना एवं अभिलेख की मांग की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 508/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 04.10.18 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 16.11.18 को प्रस्तुत की गई है। 2–म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। सदस्य	